

जीवाजी विश्वविद्यालय, न्यालियर

संक्षेप एवं अवसर: कुलपति जीवाजी
विश्वविद्यालय के नाम में लै पाया गया है तथा इसे नाम
में लैने का वायर व्यापकरणीय के रूप में।
उच्चाधिक विषय एवं विषय सूची में प्रधा-
नभाषण द्वारा ही तो यह विषय एवं उनका नाम दिया गया है।



नाम : जीवाजीविश्वविद्यालय
दृष्टिकोण : (0751) 2232368
(0751) 2442829
फ़ोन : (0751) 2341769

प्रैषिक :

कुलपति,
जीवाजी विश्वविद्यालय
न्यालियर

ग्रन्थांक: २५५/न्यालियर/२०१२/ ६०५४

दिनांक: १३/०२/१२

// सूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, न्यालियर से सम्बद्ध सोशिया बड़ीज़, कलापियालय, व्यालियर (0751-2232368) को उत्तर अनुशंसाए प्रदान करने के लिये भागीदारी द्वारा आवश्यक विषयों वाले अन्यादी सम्बद्धता लें।
अधिकारी विषय 27/13 के परिवर्णन 27/10 के अन्तर्गत विषयानुसार निर्देशन दर्शाया जा रहा दिया है:-

(1) प्र. जे.ए.जैन, कुलपति विश्वविद्यालय, जी.वि.वि. व्यालियर।
(0751-2442603)

(संयोजक)

(2) डॉ. ज्योति भोटेन, आवार्य, जी.आई.एम.टी., व्यालियर।

(3) डॉ. सुजादा शर्मा, आवार्य, जी.आई.एम.आर. कॉलेज ऑफ वर्ल्ड, व्यालियर।

(4) डॉ. कै.एस. गुर्जर, उपावार्य, सार्वजनिक शिक्षा अध्ययनशाला, जी.वि.वि. व्यालियर।

निर्देशन समिति के उद्देश्यों से अनुरोध है कि वे परिवर्णन 27/28 के प्रावधानों के अनुरूप महाविद्यालय का प्रत्यक्ष निर्देशन कर द्युर्लभ घोषित करें, ताकि इसके लाभान्वयन का उद्देश्य प्राप्त हो।

क. स्टॉल, पारिषदा संसदा से प्राप्त अनुगति अनुपाति प्राप्ति-पत्र, ग्रन्थ, छंदा परिवर्तन एवं पाठ्यक्रम आविष्कार तथा प्रमाण एवं देख आदि के द्वारा भर्ती शर्तों की पूर्ति मय उद्याप्त पत्र के तथा प्रावधानों से भिन्न होने एवं असौंहारीक लोक की विस्तृतियां का उद्देश्य हो।

ख्याती समिति की बैठक दिनांक 26 वित्तवर 2012 के पद ग्रन्थांक 60 (अ-आ-2) पर लिये जाने विषयानुसार विनियोग समिति द्वारा 30 दिवस में महाविद्यालय का विनियोग कर 15 दिवस में विश्वविद्यालय कालियर में विनियोग प्रत्यक्ष विषय जारी। विनियोग के सम्बूर्ध कार्यवाही (निहायितालय विनियोग की) 45 दिवस में पूर्ण हो अकेही एवं महाविद्यालय को विश्वविद्यालय द्वारा दी जाने वाली अन्यादी सम्बद्धता ने वित्तवर जहाँ होना एवं वस्त्र उद्याप्त संबंधी कार्यवाही पूर्ण हो रही रही तथा सामने के विनियोग का गालब भूमिकावाल दिया जा सकेगा।

वर्तमान के 45 दिवस में Report प्राप्त करावे की दियति ने वह माना जाएगा कि महाविद्यालय का विनियोग बत्ती तुम्हा है। विषयानुसार अवैधति द्वारा काराकार नवीन विनियोग दियति द्वारा की जायेगी। जिसे 15 दिवस में विनियोग दियोर्ध प्रत्युत करना अविवार्य होगा। परिवर्णन 27/11/(1) के अनुसार सम्बद्धता प्राप्त किए विनाछ्यों को प्राप्त देना अवैधाजिक है।

विनियोग समिति द्वारा सामने सम्बद्धता द्वारा दी जाने वाली अन्यादी सम्बद्धता ने वित्तवर जहाँ होना एवं वस्त्र उद्याप्त संबंधी कार्यवाही पूर्ण हो रही रही तथा सामने के विनियोग का गालब भूमिकावाल दिया जा सकेगा।

प्रतिलिपि :-

1. सम्बद्ध उद्देश्यों की ओर लूकवार्ता एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. प्रावधान/अध्ययन, कांतिष्ठित महाविद्यालय की ओर भेजकर आपत है कि समिति के लियोजक से संपर्क स्थापित कर व्यवहार करें।
3. आनुचित उच्च सिक्षा, सामुद्रज्ञ भवत, औपाल
4. कुलपति के समिति / कुलपति के विनियोग की सहायता, जीवाजी विश्वविद्यालय, व्यालियर।

कुलपति

गहावक कुलपति (सम्बद्धता)